न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
केम्प कोर्ट खेजड़ला

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 77/2015

वादीगण

1. श्रीमति हारीदेवी पत्नी भंवरलाल
2. मूलाराम पुत्र किशनाराम
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र जयराम
4. पुखराज पुत्र जयराम
5. भंवरीदेवी पत्नी जयराम
6. गिरधारीराम पुत्र किशनाराम

सभी जातियान सीरवी निवासीगण बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चैनराज पुत्र मांगीलाल
2. सज्जनकंवर पुत्री मांगीलाल पत्नी इन्द्रचन्द कोठारी
3. सिरेकंवर पुत्री मांगीलाल पत्नी कुन्दनमल

सभी जातियान ओसवाल (गुजराणी) निवासीगण एम. चैनराज जैन बाजार स्ट्रीट 2/1–162 नजाराथपेट चैन्नई 600123

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक 31-05-2017

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आयी हुयी है। उपरोक्त भूमि की खातेदारी चनणाई पत्नी हीरा जाति कुम्हार की थी, विवादग्रस्त भूमि की खातेदार चनणाई पत्नी हीरा जाति कुम्हार के कोई औलाद नही थी, वह अकेले ही रहती थी, उसका घर का खर्चा नही चलता था इस कारण उसने अपनी खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल पुत्र कुन्दनमल जाति ओसवाल (गुजराणी) निवासी बिलाड़ा को रहन रख दी और विवादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। खातेदार चनणाई जब तक जीवित रही तब तक उक्त विवादग्रस्त भूमि की हासिल से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी ने उसके घर का खर्चा अदा किया तथा उसकी बीमारी के समय उसका ईलाज करवाया और चनणाई के वृद्धावस्था में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल ने सेवाचाकरी की, चनणाई के देहान्त हो जाने पर उसका धार्मिक रितीरिवाजों के अनुसार उसका नवमा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता ने किया। खातेदार चनणाई पत्नी हीरा कुम्हार ने अपनी खातेदारी भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी को वक्त सेटलमेन्ट में ही सुपुर्द कर दिया तब से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता ने उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कपास, गेहू, रिजगा, रायड़ा, तिल आदि की फसल को बोया एवं भूमि को उपजाऊ बनाया। सेटलमेन्ट के वक्त से ही अब जब भी वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि का लगान सरकार द्वारा वसूल किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल ने वादग्रस्त भूमि का लगान अदा किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी में दर्ज है। अतः खातेदार चनणाई ने अपनी खातेदारी भूमि को 20 वर्षो से रहन की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी से छुड़ाया नही है, न ही उसने कोई कब्जा ही पुनः प्राप्त किया है। इस कारण सेटलमेन्ट के वक्त से रहन से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये और सेटलमेन्ट के वक्त से विवादित भूमि पर उनका प्रतिकुल कब्जा था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी का मुखालपाना कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी ने विवादित भूमि पर कुआ खुदंवाया और उस पर विद्युत कनेक्शन को प्राप्त किया। उक्त विवादित भूमि पर बिजली का एक कमरा, पानी का होद आदि का निर्माण करवाया तथा कुए पर पम्पींग सेट व मोटर आदि भी लगवाये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी खाने कमाने हेतु चैन्नई में परिवार सहित निवास करने लग गये इस कारण अपनी खातेदारी भूमि की अच्छी तरीके से देखभाल नही कर सकते थे,, इस कारण उन्होने अपनी भूमि की अच्छी कीमत मिलने के कारण उन्होने अपनी भूमि के पड़ौसी खेत के मॉलिक वादीगण को भूमि बैचान करने की इच्छा जताई तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता को भूमि की अच्छी कीमत मिलने के कारण उसने वादीगण को भूमि का बैचान कर दिया और कब्जा संभलवा दिया और आश्वासन दे दिया कि उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में आपके नाम दर्ज करवा देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी के देहान्त के बाद वादीगण ने उपरोक्त विवादित भूमि को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु कई बार आग्रह किया तो मांगीलाल गुजराणी की पत्नी चान्दा बाई ने वादीगण के पक्ष में भूमि बैचान का इकरारनामा दिनांक 20.07.1988 को लिखकर दे दिया। अतः वादीगण वक्त बैचान इकरारनामा से इस विवादित भूमि पर लगातार काबिज काश्त कर रहे है, आज दिन तक का कब्जा प्रतिवादीगण की जानकारी में है। अतः वादीगण वक्त बैचान इकरारनामा से इस विवादित भूमि पर लगातार काबिज काश्त कर रहे है। आज दिन तक का कब्जा प्रतिवादीगण की जानकारी में है, अतः पिछले 28 वर्षो से प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज मांगीलाल गुजराणी, चान्दाबाई का विवादग्रस्त भूमि पर काबिज नही रहने से उनका कोई हक हिस्सा होता तो भी वह समाप्त हो जाता एवं पिछले 28 वर्षो से वादीगण का 2 बीघा 5 बिस्वा की भूमि पर काबिज होने से उनको इस भूमि पर काबिज रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की म्याद समाप्त हो चुकी है। अतः वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादग्रस्त भूमि के खातेदार है, स्वीकृत तौर से वादीगण से भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का इस भूमि पर कभी कब्जा या हक नही रहा, फिर भी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को राजस्व रेकर्ड से अपने पिता का नाम हटाकर व रेकर्ड का संशोधन कराकर वादीगण का नाम दर्ज कराने का कई बार आग्रह किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 आश्वासन देते रहे एवं अब उन्होने राजस्व रेकर्ड से अपना नाम हटाने व रेकर्ड संशोधन कराने से मना

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कर दिया तो वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है।

अन्त: में वादी ने यह अभिकथन किया कि ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व रेकर्ड में दर्ज नाम चनणाई पत्नी हीरा जाति कुम्हार तथा मांगीलाल पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन मूर्तहीन का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया दावे को दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी एडवोकेट ने जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया गया जो जवाबदावा इस आधार का पेश किया कि पद संख्या 1 दावा का जवाब इस प्रकार है कि जो भूमि का विवरण दिया गया है, जो सही है। उपरोक्त भूमि की खातेदारी चनणाई पत्नी हीरा जाति कुम्हार की थी। पद संख्या 2 दावा सही होने से स्वीकार है। खातेदार चनणाई जब तक जीवित रही तब तक उक्त विवादग्रस्त भूमि की हासिल से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी ने उसके घर का खर्चा अदा किया तथा उसकी बीमारी के समय उसका ईलाज भी करवाया। पद संख्या 3 दावा सही होने से स्वीकार है। सेटलमेन्ट के वक्त से ही जब-जब भी वादग्रस्त भूमि का लगान सरकार द्वारा वसूल किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल ने वादग्रस्त भूमि का लगान अदा किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी का प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये और सेटलमेन्ट के वक्त से विवादित भूमि पर उनका प्रतिकुल कब्जा था। पद संख्या 4 दावा सही होने से स्वीकार है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी ने कुआ खुदवाया, उस पर विद्युत कनेक्शन को प्राप्त किया, विवादित भूमि पर बिजली का एक कमरा, पानी का होद आदि का निर्माण करवाया तथा कुए पर पम्पींग सेट व मोटर आदि भी लगवाये उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी खाने कमाने हेतु चैन्नई में परिवार सहित निवास करने लग गये इस कारण अपनी खातेदारी भूमि की अच्छी तरीके से देखभाल नही कर सकते थे, इस कारण उन्होने अपनी भूमि की अच्छी कीमत मिलने के कारण उन्होने अपनी भूमि के पडौसी खेत के मालिक वादीगण को भूमि बैचान करने की इच्छा जताई तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता को भूमि की अच्छी कीमत मिलने के कारण उसने वादीगण को भूमि का बैचान कर दिया और कब्जा संभलवा दिया था। पद संख्या 5 दावा सही होने से स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी के देहान्त के बाद वादीगण ने उपरोक्त विवादित भूमि को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु कई बार आग्रह किया तो मांगीलाल

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गुजराणी की पत्नी चान्दाबाई ने वादीगण के पक्ष में भूमि बैचान का इकरारनामा दिनांक 20.07.1988 को लिख कर दे दिया। अतः वादीगण वक्त बैचान इकरारनामा से इस विवादित भूमि पर लगातार काबिज काश्त कर रहे है। पिछले 28 वर्षो से वादीगण का भूमि पर काबिज काश्त है। पद संख्या 6 दावा सही होने से स्वीकार है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से खातेदारी घोषणा की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री करने के निवेदन के कारण उपरोक्त वाद में तनकीयात की आवश्यकता नही रही है। इस कारण उक्त वाद में तनकीयात कायम नही की गयी। वादी श्रीमति हारीदेवी पत्नी भंवरलाल का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी बन्दोवस्त खसरा नम्बर 393, 394, 419 **प्रदर्श** 1, जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 खसरा नम्बर 393, 394, 419 प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 खसरा नम्बर 393, 394, 419 प्रदर्श 3, जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 खसरा नम्बर 393, 394, 419 प्रदर्श 4, जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 खसरा नम्बर 393, 394, 419 प्रदर्श 5, जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 खसरा नम्बर 393, 394, 419 प्रदर्श 6, जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 खसरा नम्बर 393, 394, 419 प्रदर्श 7, खसरा गिरदावरी संवत् 2020 खसरा नम्बर 393, 394 प्रदर्श 8, ढालबांछ संवत 2018 प्रदर्श 9, इकरारनामा चान्दाबाई बहक श्रीमति हारीदेवी दिनांक 20.07.1988 प्रदर्श 10 आदि दस्तावेज पेश किये गये।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 393, 394, 419 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम चनणाई पत्नी हीरा जाति कुम्हार तथा मांगीलाल पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। वादीगण ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर. डी. 2007 पेज 660 दामोदर प्रसाद बनाम लालीदेवी का पेश किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों पर मनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजो से विदित होता है कि खातेदार चनणाई पत्नी हीरा कुम्हार ने अपनी खातेदारी भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी को वक्त सेटलमेंन्ट में ही सुपुर्द कर दिया था तब से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता ने उक्त विवादग्रस्त भूमि पर फसल आदि को बोया है जो गिरदावरी से साबित होता है। सेटलमेन्ट के वक्त से जब जब भी वादग्रस्त भूमि का लगान सरकार द्वारा वसूल किया गया तब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल ने वादग्रस्त भूमि का लगान अदा किया जो कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी में स्पष्ट दर्ज है। सेटलमेन्ट के वक्त से रहन से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये थे और सेटलमेन्ट के वक्त से विवादित भूमि पर उनका कब्जा था, इसी कारण विवादित भूमि पर कुआ खुदवाया और उसमें विद्युत कनेक्शन को प्राप्त किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गुजराणी चैन्नई में निवास करने के कारण उसने अपने खेत पड़ौसी वादीगण को भूमि का बैचान दिनांक 20.07.1988 को कर दिया एवं कब्जा संभलवा दिया उसके बाद आज दिन तक कब्जा वादीगण के पास है। पिछले करीब 30 वर्षो से विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की म्याद भी समाप्त हो चुकी है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मांगीलाल गुजराणी तथा चान्दाबाई का दर्ज नाम हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण श्रीमति हारीदेवी वगैराह का वाद बावत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के रेकर्ड में दर्ज चनणाई पत्नीं हीरा जाति कुम्हार तथा मांगीलाल पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन मूर्तहीन का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे। माफिक निर्णय एवं अन्तिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प कोर्ट खेजड़ला व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी **बनाम**

1. श्रीमति हारीदेवी पत्नी भंवरलाल
2. मूलाराम पुत्र किशनाराम
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र जयराम
4. पुखराज पुत्र जयराम
5. भंवरीदेवी पत्नी जयराम
6. गिरधारीराम पुत्र किशनाराम
   सभी जातियान सीरवी निवासीगण
   बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा

प्रतिवादीगण

1. चैनराज पुत्र मांगीलाल
2. सज्जनकंवर पुत्री मांगीलाल
   पत्नी इन्द्रचन्द कोठारी
3. सिरेकंवर पुत्री मांगीलाल
   पत्नी कुन्दनमल
   सभी जातियान ओसवाल
   (गुजराणी) निवासीगण एम.
   चैनराज जैन बाजार स्ट्रीट
   2/1–162 नंजाराथपेट
   चैन्नई 600123
4. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसीं एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 77/2015 दिनांक :– 31.05.2017

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 श्री सी.आर. चौधरी एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के रेकर्ड में दर्ज चनणाई पत्नी हीरा जाति कुम्हार तथा मांगीलाल पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन मूर्तहीन का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31-05-2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मुहर: कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा — सत्यमेव जयते)

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
बिलाड़ा